चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 19.03.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 19.03.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में रमजान पर्व को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत एवं शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री दुर्गविजय सिंह एवं पैरोकार आरक्षी विवेक कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश ग्राम न्यायालय मानिकपुर सुश्री खुशबू चन्द्रा द्वारा आज दिनाँक 19.03.2025 को थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 100/2024 धारा 13 जुआ अधिनियम के आरोपी अभियुक्त तुआ उर्फ मोनू पुत्र शिवकेश निवासी माराचंद्रा थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 200/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश व अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री यामीन अहमद के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष बरगढ़ श्री पंकज तिवारी व उनकी टीम ने ग्राम कलचिहा के वन क्षेत्र में हुए ब्लाइंड मर्डर मु0अ0सं0 108/024 धारा 103(1),238ए बीएनएस से सम्बन्धित शेष 02 वाँछित अभियुक्त 1. अंकित यादव पुत्र रामगोविन्द यादव निवासी पश्चिम पट्टी महेबा कोतवाली नैनी प्रयागराज 2.समर गौतम पुत्र महेन्द्र गौतम निवासी पश्चिम पट्टी महेबा कोतवाली नैनी प्रयागराज को गिरफ्तार किया।
गिरफ्तारी करने वाली टीम का नाम-
1.थानाध्यक्ष बरगढ़ श्री पंकज तिवारी
2.आरक्षी उपेन्द्र कुमार
3.आरक्षी पीयूष शरण श्रीवास्तव
4.आरक्षी चालक उमेश यादव

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश व अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री यामीन अहमद के पर्यवेक्षण में थाना मारकुण्डी पुलिस टीम ने कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने वाले आरोपी अभियुक्त को आलाकत्ल कुल्हाड़ी के साथ गिरफ्तार किया।
अभियुक्त का नाम पता का विवरण-
रामप्रसाद उर्फ रामप्रसादी पुत्र लालमान कोल निवासी जारोमाफी थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट
बरामदगी-
आलाकत्ल कुल्हाड़ी
गिरफ्तारी का स्थान,दिनाँक,समय-
ग्राम चिरहटी जाने वाली पक्की सड़क पर बने नदी किनारे पीपल पेड़ के नीचे बने चबूतरे से ,18.03.025, 22.40 बजे रात्रि
संक्षिप्त विवरण-
उल्लेखनीय है दिनाँक 14.03.025 को वादिया मीरा पत्नी शंकर प्रजापति निवासिनी जारोमाफी थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट द्वारा थाना मारकुण्डी पर सूचना दी गयी कि उसे व उसके पति शंकरलाल प्रजापति पुत्र बुद्ध लाल को गाँव के ही रामप्रसाद उर्फ रामप्रसादी पुत्र लालमान कोल निवासी जारोमाफी

थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट शराब के नशे में गाली गलौच कर रहा था उसके पति द्वारा गाली देने से मना किया गया तो रामप्रसाद उर्फ रामप्रसादी उपरोक्त ने हाथ में लिए कुल्हाड़ी से उसके पति पर वार कर दिया जिससे वह गंभीर रुप से घायल हो गया। घायल पति को उपचार हेतु सीएचसी मानिकपुर ले जाया गया जहाँ से बेहतर उपचार हेतु जिला अस्पताल सतना ले गए । घटना की सूचना पर थाना मारकुण्डी में मु0अ0सं0 15/25 धारा 109,352 बीएनएस बनाम रामप्रसाद उर्फ रामप्रसादी उपरोक्त पंजीकृत किया गया। घटना का संज्ञान लेकर पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी को अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

दिनाँक 18.03.025 को मुखबिर की सूचना पर थाना मारकुण्डी पुलिस टीम ने आरोपी अभियुक्त रामप्रसाद उर्फ रामप्रसादी उपरोक्त को ग्राम चिरहटी जाने वाली पक्की सड़क पर बने नदी किनारे पीपल पेड़ के नीचे बने चबूतरे से आलाकत्ल कुल्हाड़ी के साथ गिरफ्तार किया गया। वादिया के पति को उपचार के दौरान डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिए जाने के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 103(1) BNS की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1.वरि0 उ0नि0 श्री शैलेन्द्रचन्द्र पाण्डेय थाना मारकुण्डी
2.उ0नि0 श्री सुभाषचन्द्र उपाध्याय
3.आरक्षी अभिषेक यादव
4.आरक्षी सुर्यकान्त यादव

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश व अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री यामीन अहमद के पर्यवेक्षण में थाना मारकुण्डी पुलिस टीम ने पत्थर से सर कुचल हत्या करने वाले आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

अभियुक्त का नाम पता का विवरण-

जीवन लाल कोल पुत्र बूदा उर्फ माताबदल निवासी टिकरिया कोलान थान मारकुण्डी जनपद चित्रकूट

बरामदगी-

आलाकत्ल पत्थर

गिरफ्तारी का स्थान,दिनाँक,समय-

मसनहा रोड़ थाना मारकुण्डी से ,19.03.025, 10.35 बजे

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है दिनाँक 16.03.025 को वादी दादूलाल पुत्र भइयालाल निवासी टिकरिया जमुनिहाई थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट द्वारा थान मारकुण्डी पर सूचना दी कि मेरे छोटे भाई लोकल(विक्रम) को लम्बरदार यादव पुत्र सत्यनारायण निवासी टिकूरी पुरवा ,पंकज सेन पुत्र स्व0 चन्द्रपाल निवासी टिकरिया कोलान व जीवन लाल कोल पुत्र बूदा उर्फ माताबदल निवासी टिकरिया कोलान थान मारकुण्डी जनपद

चित्रकूट ने घर से ले जाकर मनसहा रोड़ में सर पर पत्थर मारकर हत्या कर दिए है। घटना की सूचना पर थाना मारकुण्डी में मु0अ0सं0 19/25 धारा 103(1),3(2)(5) बीएनएस बनाम लम्बरदार यादव आदि पंजीकृत किया गया। फील्ड यूनिट की टीम द्वारा घटनास्थल निरीक्षण से आलाकत्ल पत्थर बरामद किया गया। घटना का संज्ञान लेकर पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी को अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

(7). आज दिनाँक 19.03.025 को मुखबिर की सूचना पर थाना मारकुण्डी पुलिस टीम ने आरोपी अभियुक्त जीवन लाल कोल उपरोक्त को मसनहा रोड़ थाना मारकुण्डी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त से हत्या करने के सम्बन्ध में पूछताछ की गयी तो बताया कि मृतक लोकल(विक्रम) और वह शराब के नशे में थे अचानक आपसी वाद विवाद होने पर मृतक लोकल झगड़ा करने लगा मना करने पर नही माना तो उसको धक्का देकर नीचे गिरा दिया और पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-</u>

1. उ0नि0 श्री कैलाश यादव थाना मारकुण्डी
2. आरक्षी तेज सिंह

(8). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 10 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

(i). प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्रीमती रीता सिंह,अपराध निरीक्षक श्री प्रभुनाथ यादव मय हमराह आरक्षी दीपक सिंह,आरक्षी सचिन कुमार व महिला आरक्षी प्रियंका सिंह द्वारा मु0अ0सं0 50/25 धारा 103(1),109(1),351(2),352,61(2)(क) की वांछित/प्रकाश में आयी अभियुक्त मुन्नी देवी पत्नी स्व0 गिरीश कुमार उर्फ मुन्ना मिश्रा निवासी ग्राम कलवारा बुजुर्ग थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(ii). उ0नि0 श्री इन्द्रजीत गौतम कोतवाली कर्वी द्वारा मु0नं0 6367/24 धारा 138 एनआईएक्ट के वारण्टी अभियुक्त रामभरोसा सिंह कोटेदार पुत्र रामलाल सिंह निवासी चमड़ा मण्डी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया।

(iii). उ0नि0 श्री शाहनवाज खाँ थाना मऊ मय हमराह आरक्षी विवेक कुमार द्वारा मु0नं0 252/24 मु0अ0सं0 444/22 धारा 406 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र चुन्नीलाल निवासी माधव का पुरवा लालता रोड थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया।